

ध्यमधारमा

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2871]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2013/अग्रहायण 29, 1935

No. 2871]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2013/AGRAHAYANA 29, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3761(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 9 नवम्बर, 2012 की सं. का.आ. 2695(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंतद उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित अपितयां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई भी आपति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था और यह प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में भी अनुमोदित किया गया था ।
- 3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11(क) के अंतर्गत जोन के-1 की क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित भू-उपयोग के संशोधन/परिवर्तन निम्नलिखित है :

5357 GI/2013 (1)

- (क) नांगलोई-नजफगढ़ को जोड़ने वाली 30 मी. चौड़ी सड़क और नजफगढ़ नाले की पश्चिम भाग की ओर जाने वाली 45 मीटर प्रस्तावित सड़क के संरेखन में संशोधन ।
- (ख) निम्नलिखित सीमा सहित भू-उपयोग के परिवर्तन के पश्चात् विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	जोन के-। की क्षेत्रीय		संशोधित किए		स्कीम की सीमाएं
	विकास योजना के	(हैक्टेयर में)	जाने के लिए	क्षेत्रफल	
	अनुसार भूमि उपयोग		प्रस्तावित भूमि	(हेक्टेयर	
			उपयोग	में)	
1.	सार्वजनिक एवं अर्ध-	48.98	औद्योगिक	22.34	उत्तर : नांगलोई नजफगढ़
	सार्वजनिक सुविधाएं				रोड
					पूर्व : 45 मीटर मार्गाधिकार
2.	सार्वजनिक एवं अर्ध-	0.20	आवासीय	25.42	वाली प्रस्तावित रोड
	सार्वजनिक सुविधाएं				नजफगढ़ नाला
	(सामुदायिक स्तर)				दक्षिण : आवासीय निर्मित
3.	मनोरंजनात्मक	2.62	मनोरंजनात्मक	2.62	क्षेत्र
					पश्चिम : बापरोला गांव/
4.	परिचालन	3.09	परिचालन	4.51	निर्मित क्षेत्र ।
	कुल	54.89		54.89	

"औद्योगिक" उपयोग जोन के भीतर अनुमत गतिविधियां पूरी तरह से दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार होंगी ।

परियोजना का नाम 'ज्ञानाधारित औद्योगिक पार्क' से बदलकर "औद्योगिक पार्क" में किया जाएगा । डीएसआईआईडीसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करेगा :

- भौतिक अवस्थापना के लिए एमसीडी और सेवा मुहैया कराने वाले अन्य आभिकरणों के साथ अपने स्वयं के प्रबंधन करना ।
- स्कीम सीमा के अंतर्गत प्रस्तावित केबीआईपी के लिए अपेक्षित ईएसएस, पंपिग स्टेशन आदि जैसी
 बाह्य/आंतरिक सेवाओं से संबंधित भूमि के लिए पर्याप्त आरक्षण मुहैया कराना ।
- वैकल्पिक भू-खण्डों के आबंटन और भूमि अधिग्रहण आदि से संबंधित अन्य मामलों के लिए प्रावधान करना ।
- संबंधित स्थानीय अभिकरण द्वारा निर्माण योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित अपेक्षित मंजूरी ।
- स्कीम सीमा के भीतर मास्टर प्लान/जोनल प्लान सड़कों का निर्माण ।
- जोन के-1 के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय विकास योजना में दर्शाए गये अनुसार मौजूदा सड़कों, प्रस्तावित मास्टर प्लान सड़कों को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान ।
- तेल कंपनियों के शर्तीं के अनुसार तेल पाईप लाइनों के साथ अनिवार्य मनोरंजनात्मक क्षेत्र ।

[फा. सं. के-13011/5/2012/डीडी-I] सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2013

- **S.O.** 3761(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 2695 (E) dated 9-11-2012 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas, no objection/suggestion was received in this regard to the proposed modification and proposal was also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.
- 3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

Following are the Modifications/Change of Landuse proposed in Zonal Development Plan of Zone K-I under Section 11-A of DD Act:

- (a) Modification in the alignment of 30 meter wide road connecting Nangloi–Najafgarh road and proposed 45 meter road to the West of Najafgarh Drain.
- (b) Following Change of Land Use with boundary details as given below:

Sl.	Land use as per ZDP,	Area	Land uses	Proposed	Boundaries of the scheme
No.	Zone K-I	(in Ha)	proposed to	Area (in	
			be modified	Ha)	
1.	Public & Semi-Public	48.98	Industrial	22.34	North: Nangloi-Najafgarh Road
	Facilities				East: Proposed Road 45 M ROW,
2.	Public & Semi-Public	0.20	Residential	25.42	Najafgarh Drain
	Facilities (Community				South: Residential Built-up Area
	Level)				West: Baprola village/Built-up area.
3.	Recreational	2.62	Recreational	2.62	
4.	Circulation	3.09	Circulation	4.51	
	Total	54.89		54.89	

The activities permitted within 'Industrial' Use Zone, will be strictly as per MPD-2021.

The name of project will be changed from 'Knowledge Based Industrial Park' to 'Industrial Park'.

DSIIDC will take following actions for implementation of project:

- To make own arrangements for physical infrastructure with MCD and other service providing agencies.
- To provide adequate reservations for land related to external/internal services such as ESS, Pumping Stations etc. required for proposed KBIP within the scheme boundary.
- To provide for allotment of alternative plots and other issues related to acquisition of land etc.
- Necessary clearances related to sanction of building plans by the concerned local agency.
- Construction of Master Plan/Zonal Plan roads within the scheme boundary.
- Adequate provisions for widening of existing roads, proposed Master Plan Roads as shown in notified ZDP for Zone K-I.
- Mandatory recreational belt along oil pipe line as per stipulations by oil companies.

[F. No. K-13011/5/2012-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.